उत्तर प्रवेश श्रीध-नियम संख्या उ सन् 1956 श्री धारा 2 का संशोधन 2-- उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) प्रधिनियम, १९६ की, जिसे ागे मूल अधिनियम ६ हा गया है, धारा २ में, खण्ड (क) और (कका) की कमा विषे खण्ड (कका) और (कका) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इसप्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक्) भी पूर्व निम्नालाश्वत खण्ड बढ़ा दिया जायगा, शर्थात्:—

"(क) 'अपील प्राविकारी' का ताल्प जब जारित ननीरंजत तर अधुकत, उता प्रदेश के बादिश के विरुद्ध की जाय तो राज्य सरकार से, और जब ध्रपील जिला मजिस्ट्रेट के खादेश के विरुद्ध की जाय तो प्रगरित्य आधुकत से, हैं।"

धारा 5 का संशोधन 3--मूल श्रीवित्यम की धारा 5 में, उपवारा (3)में, शब्द "राज्य सरकार के पान श्रपीत कर सकता है और राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "श्रपीत प्राधिकारों के पान श्रपीत कर प्रकर्ता है भीर भ्रपीत प्राधिकारों" रख विष् आर्थेंगे ।

धारा 6-क का संशोधन 4-मूल प्रधिनियम की धारा 6-क में,--

(क) उपधारा (1) में तब्द "तलासी ले तकता है।" के परव व् सम्ब "आर ऐसी फिल्मों और बीडियो के तेटों को उनका उल्लंधन करके अदिसत करते हुए, या रखें पर पार आएं, धामगृहीत कर तकता है।" बढ़ा दिए अप्येते;

(ख) जनवारा (त) हो पश्च स् निम्मीलेखित जनवारान् बढ़ा हो नायेगी, वर्षान्:-

"(5) उपवास (1) के ज्ञान श्रीमगृही । श्रत्येत किएन वा बीडियो के तह, धवाशक्य मील, ज्ञाविकारितायुक्त स्वायालय के सम्मृत प्रस्तुत ज्ञिया जायेमा जो उत्तवी सञ्ज्ञाबत श्रीमारक्षा के लिए ऐसा श्रादेश दे तकता है श्रीमा यह अधित समझे :

(6) उपवास (1) के अधीन अभिगृहीत फिल्में और बीडियो कै तेड शिधकारितायुक्त स्वाधालय के किसी अबिश द्वारा जन्म की जा सहिंगी :

किन्तु प्रांतवन्य यह है कि जब तक अभिग्रहण ने दिनोज ते एक मान का समय ब्यतीत न हो जाए, और ऐसे किसी ब्यवित को जो उन पर किसी अधिकार का दावा करें, सुन न लिया जाव और साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जिसे वह प्रभने वावे के सम्बाद में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया जाय, तब तक जब्ती का कोई अदेश नहीं किया जाएगा।"

धारा 7 का संगोधन 5--मूल अधिनियम की धारा ७ में,---

- (क) उपवास (1-क) में, खण्ड (क) में शब्द "राज्य सरकार" के स्था पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे;
- (छ) खनवारा (४) में, तब्द गराज्य संस्कार" के स्थान पर शब्द "प्रयोग प्राधि -कारी" रक विष जायेंगे;
- (ग) उपधारा (5) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "प्राचित प्राधिकारी" रख विष् जायेंने।

श्राचा से, नरेन्द्र कुमार नारंग, प्रमुख सचिव ।

No. 1805 (2)/XVII-V-1 1(KA)39-1995 Dated Lucknow, September 14, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal Chitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhy) 32 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1995:

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) (AMEND-MENT) ACT, 1995

(U. P. ACT NO 32 OF 1995)
[As passed by the Uttar Pradesh Logislature]

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of incha an follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regu- Short title and lation) (Amendment) Act, 1995.

- (2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint in this behalf,
- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, hereinafter referred to as the principal Act, clauses (a) and (aa) shall be re-numbered as clauses (aa) and (aaa) thereof respectively and before clause (aa) as so re-numbered the following clause shall be inscried, namely :-

Amendment of Act no. 3 of 1956

- "(a) 'appellate authority' means the State Government when the appeal is preferred against an order of the Entertainment Tax Commissioner, Uttar Pradesh, and the Divisional Commissioner when the appeal is preferred against an order of the District Magistrate;"
- 3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "the State Government" and the State Government" the words "the appellate authority and the appellate authority" shall be substituted.

mondment

4. In section 6-A of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the words "rules made thereunder" the words "and may seize such films and video cassettes as are found being exhibited or kept in contravention thereof" shall be inserted:

Amendment of section 6-A

- (h) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :-
  - "(5) Every film or video cassette seized under sub-section (1) shall, as soon as may be, be produced before the court having jurisdiction which may make such order as it thinks fit for its proper custody.
  - (6) Films and video cassettes reized under sub-section (1) shall be liable to confiscation by an order of the court having jurisdiction:

Provided that no order of confiscation shall be made until the expiration of one month from the date of seizure and without hearing any person who may claim any right thereto and considering the evidence, if any, which he produces in respect of his claim."

In section 7 of the principal Act-

(a) in sub-section (1-A), in clause (b) for the words "State Government" the words "appellate authority" shall be substituted:

Amendment SCULINI 7

- (b) in sub-section (4), for the words "State Government" the words "appellate authority" shall be substituted;
- (c) in sub-section (5), for the words "State Government" the words "appellate authority" shall be substituted.

By order, N. K. NARANG. Prinikh Sachtra